

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] No. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ ज्येष्ठ 11, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/ JYAISTHA 11, 1940

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./जी. एन./2018/23.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के साथ पठित धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में,
 - I. विनियम 3 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—
 - "(3) इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन

3094 GI/2018 (1)

प्लान) के अनुसरण में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के इक्विटी शेयरों की की जाने वाली किसी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी योजना,–

- (क) ऐसे शेयर की असूचीबद्धता को पूरा करने के लिए कोई विशेष (विनिर्दिष्ट) प्रक्रिया निर्धारित (अधिकथित) करे; या
- (ख) मौजूदा (विद्यमान) सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) में निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कीमत पर निकास (एग्ज़िट) का विकल्प प्रदान करे (उपलब्ध कराए):

परंतु यह कि, शेयरधारकों को निकास (एग्ज़िट) उस कीमत पर प्रदान किया जाना चाहिए, जो समापन मूल्य (लिक्विडेशन बैल्यू) [जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 35 के अनुसार निर्धारित की जाए और जिसमें से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 53 के अधीन यथा निर्धारित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार देयराशियों को चुका दिया जाए। से कम न हो:

परंतु यह और कि, यदि मौजूदा संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या किन्हीं अन्य शेयरधारकों (शेयरहोल्डर्स) को समाधान योजना के अधीन निकास (एग्ज़िट) का अवसर ऊपर दिए हुए परंतुक के अनुसार निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव हो, तो मौजूदा सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को भी उस कीमत पर निकास का अवसर प्रदान किया जाएगा, जो उस कीमत (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) से कम नहीं होगी जिस कीमत पर ऐसे संप्रवर्तकों या अन्य शेयरधारकों को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निकास का अवसर प्रदान किया जाता हो:

परंतु यह भी कि, ऐसी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के ब्यौरे [प्रस्तावित असूचीबद्धता के संबंध में निकास कीमत (एग्ज़िट प्राइस) के औचित्य के साथ] मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 31 के अधीन समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुमोदित होने से एक दिन के भीतर प्रकट (डिस्क्लोज़) किए जाएँगे।"

II. विनियम 30 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् और उप-विनियम (3) से पूर्व, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(2क) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, असूचीबद्ध (डीलिस्टिड) इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए आवेदन उस कंपनी की बाबत किया जा सकेगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कारपोरेट इन्सॉल्वेन्सी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस) से गुज़र चुकी हो।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-।।।/4/असाधारण/86/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-2010/09/165992 द्वारा, 10 जून 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :

- (क) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
- (ख) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2014-15/27/541, द्वारा
- (ग) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2015-16/010, द्वारा
- (घ) 12 जनवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2015-16/030, द्वारा
- (ङ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2018

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/23.— In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), sub-section (1) of section 11, sub section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, namely, -

- 1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2018.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009,—
 - I. in regulation 3, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely,
 - "(3) Nothing in these regulations shall apply to any delisting of equity shares of a listed entity made pursuant to a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [No. 31 of 2016], if such plan,
 - (a) lays down any specific procedure to complete the delisting of such share; or
 - (b) provides an exit option to the existing public shareholders at a price specified in the resolution plan:

Provided that, exit to the shareholders should be at a price which shall not be less than the liquidation value as determined under regulation 35 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 after paying off dues in the order of priority as defined under section 53 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016[No. 31 of 2016]:

Provided further that, if the existing promoters or any other shareholders are proposed to be provided an opportunity to exit under the resolution plan at a price higher than the price determined in terms of the above proviso, the existing public shareholders shall also be provided an exit opportunity at a price which shall not be less than the price, by whatever name called, at which such promoters or other shareholders, directly or indirectly, are provided exit:

Provided also that, the details of delisting of such shares along with the justification for exit price in respect of delisting proposed shall be disclosed to the recognized stock exchanges within one day of resolution plan being approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [No. 31 of 2016]."

II. in regulation 30, after sub-regulation (2) and before sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), an application for listing of delisted equity shares may be made in respect of a company which has undergone corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016[No. 31 of 2016]."

AJAY TYAGI, CHAIRMAN
[ADVT.-III/4Exty./86/18]

Footnote:

- 1. The SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, were published in the Gazette of India on 10 June, 2009 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992.
- 2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
 - (a) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
 - (b) March 24, 2015 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/27/541.
 - (c) August 14, 2015 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/010.
 - (d) January 12, 2016 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/30.
 - (e) March 6, 2017 by SEBI (Payment Of Fees And Mode Of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/037.
